



प्रश्न सं. [क. 436]
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎: 0755-2466735 (0), फ़ैक्स: 0755- 2463742, पी.बी.एक्स: 0755-2517600, 2466191

ई-मेल: : it_mppcb@rediffmail.com , वेब: www.mppcb.nic.in

संलग्नक-अ

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 436

द्वारा माननीय विधायक श्री राज्यवर्धन सिंह

पीलूखेडी स्थित उद्योगों के संबंध में प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही

क्र.	उद्योग का नाम / शिकायत का विषय	शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
01	मेसर्स भोपाल ग्लूज एण्ड केमीकल्स, पीलूखेडी से केमीकल्स युक्त पानी नदी में छोड़ने से कुओ एवं बोरो का पानी प्रदूषित होने के संबंध में	18/01/2019	श्री भगवान सिंह मीना पत्रकार गुजराती पोस्ट कुरावर, जिला राजगढ़	दिनांक 01/02/2019 को बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने पर पार्वती नदी सूखी पाई गई। उद्योग में दूषित जल के उपचार की स्थापित व्यवस्थायें कार्यरत पाई गई। कुओं एवं बोरो के पानी में सामान्यतः प्रदूषण की स्थिति नहीं पाई गई, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
02	मेसर्स विन्ध्यचल डिस्टिलरीज प्राय. लिमि., पीलूखेडी के प्रदूषण के कारण जन स्वास्थ्य को होने वाली हानि से बचाने हेतु डिस्टिलरीज को हटाने के संबंध में	09/04/2019	श्री इन्दर सिंह वर्मा पूर्व जिला प्रभारी बसपा जिला राजगढ़	दिनांक 06/05/2019 को बोर्ड के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने पर उद्योग में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें कार्यरत पाई गई। निस्त्राव परिसर के बाहर नहीं पाया गया। मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरावर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 04/06/2019 में उल्लेख अनुसार कुरावर में सामान्य मरीज जो कि सर्दी-खांसी, बुखार आदि से पीड़ित आ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेडी में किसी विशेष संक्रमित बीमारी से ग्रसित मरीज नहीं आ रहे हैं, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
03	म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा अबिलम्ब शिकायत जांच कराये जाने बावत् (विन्ध्यचल डिस्टिलरी प्रा.लि. संबंधी)	14/01/2020	श्री इन्दर सिंह वर्मा पूर्व जिला प्रभारी बसपा जिला राजगढ़	दिनांक 28/01/2020 को बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पीलूखेडी स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं पाया गया, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
04	मेसर्स भोपाल ग्लूज एण्ड केमीकल्स, पीलूखेडी- चमड़ा फेक्ट्री के द्वारा प्रदूषित पानी पार्वती नदी में खुले में छोड़ने बावत्।	18/02/2020	श्री भगवान सिंह मीना पत्रकार गुजराती पोस्ट कुरावर, जिला राजगढ़	दिनांक 12/06/2020 एवं 19/06/2020 को बोर्ड के अधिकारी द्वारा शिकायत में उल्लेखित इकाइयों का निरीक्षण किया गया। उक्त इकाइयों से दूषित जल निस्सारित होते नहीं पाया गया, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
05	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ से प्राप्त शिकायत दिनांक 19/03/2020 मेसर्स भोपाल ग्लू केमिकल्स लि.मि. एवं मेसर्स ओसवाल वूलन लि. मि. के प्रदूषण संबंधी जांच करने हेतु	17/06/2020	श्री गौरेलाल, श्री भगवान सिंह एवं राकेश वर्मा	दिनांक 12/06/2020 एवं 19/06/2020 को बोर्ड के अधिकारी द्वारा शिकायत में उल्लेखित इकाइयों का निरीक्षण किया गया। उक्त इकाइयों से दूषित जल निस्सारित होते नहीं पाया गया, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विन्ध्यचल डिस्टिलरीज प्रा.लि.